प्रेस विज्ञप्ति

28.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवांशहर, पंजाब और पंडोगा, ऊना, हिमाचल प्रदेश में केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस; एएसएएमएस शिक्षा समूह; कौशल विकास सोसायटी; कौशल विकास विद्यालय; इन संस्थानों से जुड़े व्यक्ति; उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला के अधिकारी और बैंक अधिकारी के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला के समक्ष 21/10/2023 को एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, क्योंकि वे हिमाचल प्रदेश के एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अवैध गतिविधि के माध्यम से प्राप्त अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया/गतिविधि में संलिप्त थे। माननीय न्यायालय ने 23.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितता के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि इन संस्थानों ने (i) उन छात्रों के विवरणों को सत्यापित करके धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की थी, जो इन संस्थानों के साथ किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं थे; और (ii) जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना संस्थान छोड़ दिया। इसके अलावा, धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति निधि की अधिक राशि प्राप्त करने के लिए, (i) उत्तरवर्ती वर्षों में छात्रों का पाठ्यक्रम बदलकर; (ii) उत्तरवर्ती वर्षों में छात्रों की जाति श्रेणी को बदलकर; (iii) छात्रों को डे स्कॉलर के बजाय हॉस्टलर के रूप में दिखाकर और (iv) दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए फर्जी पाठ्यक्रम शुल्क संरचना का दावा करके, छात्रों के गलत विवरण छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किए गए। इस प्रकार प्राप्त अपराध की आय का उपयोग आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर चल और अचल संपत्ति अर्जित करने के लिए किया गया था।

इससे पहले मामले में, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक सामग्री, 75 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई थी और बैंक खातों में जमा 2.55 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज़ किया गया था।

हितेश गांधी, राजदीप सिंह, कृष्ण कुमार और अरविंद राजत को धन शोधन के अपराध का दोषी मानते हुए 30/08/2023 को गिरफ्तार किया गया।

इसके अलावा ईडी ने कुल 10.7 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां कुर्क करने के लिए दो अनंतिम कुर्की आदेश पारित किए हैं।

****